प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

अध्यक्ष / सचिव
बसन्त लाल शिक्षा समिति,
सलेमपुर, बसगित, धनूपुर, हण्डिया, प्रयागराज।
संस्था का नाम– बाबू बसन्त लाल कॉलेज ऑफ,
फार्मेसी, सलेमपुर, बसगित, हण्डिया, प्रयागराज।

पत्रांक:–प्राशिप / परिषद / 2022 / 7408   लखनऊ:दिनांक– 10–08–2022

विषय:– सत्र 2022–23 हेतु संस्थान को अनापत्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पी0सी0आई0) के पत्रांक 14–56 / 2022 (Approval Process for 2022-23 as) / 11621–23 दिनाक 21–6–2022 एवं 14–56 / 2022 (Approval Process for 2022-23 as) / 12561–63 Online Application for 2022-2023(DS), Online Application for 2022-2023(AS) दिनांक 04–08–2022 को सदर्भित करने का कष्ट करे, जिसके अनुक्रम मे सत्र 2022–23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु आप द्वारा सहमति / अनापत्ति निर्गत किये जाने के संबंध मे अनुरोध किया गया है।

सूच्य है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानो को "उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम–1962 (यथासंशोधित) 1974" की धारा–12(1) मे प्रदत्त अधिकारो के अंतर्गत सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली / पी0सी0आई0, नई दिल्ली से प्रश्नगत संस्थान एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदनोपरांत ही संस्थान की सम्बद्धता पर विचार करता है।

फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पी0सी0आई0), नई दिल्ली के संदर्भ संख्या 14–56 / 2022 (Approval Process for 2022-23 as) / 12561–63 Online Application for 2022-2023(DS), Online Application for 2022-2023(AS) दिनाक 04–08–2022 मे दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर संस्था को सहमति / अनापत्ति पत्र इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा सत्र 2022–23 हेतु फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र, सत्र 2022–23 हेतु परिषद द्वारा आहूत सम्बद्धता / सम्बद्धता विस्तार की बैठक से पूर्व प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अवधि तक यदि संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय मे प्राप्त नही कराया गया तो ऐसी स्थिति मे संस्था को सत्र 2022–23 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नही किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति / अनापत्ति पत्र प्रतीकात्मक है, और उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण किये जाने पर ही मान्य होगा। साथ ही पी0सी0आई0 एवं परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों / मानकों के अनुसार संस्था का स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय सत्यापन एक माह के अंदर कराया जाएगा। पी0सी0आई0 / परिषद के मानकों के क्रम मे दिये गये अभिलेखो के सत्यापन की पुष्टि न होने पर अनापत्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय,
(एफ0 आर0 खान)
सचिव

पृ0सं0– प्राशिप / परिषद / 2022 / 7409–10   तद्दिनाक– 10–08–2022
प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
2. रजिस्ट्रार–कम–सेक्रेटरी, फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, एन0बी0सी0सी0, सेण्टर तृतीय तल, प्लाट नं0 2, कम्युनिटी सेण्टर, मां आनन्दमई, मार्ग, ओखला फेज–1, नई दिल्ली–110020

(एफ0 आर0 खान)
सचिव